

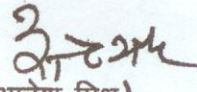
52
18/05/15

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

कार्यालय परिपत्र संख्या 9241-9941/देखरेख शाखा/मु०/तीस हजारी/144 व 305/2014 दिनांक 31/03/14, परिपत्र संख्या संख्या 19940-20640/देखरेख शाखा/मु०/तीस हजारी/144 व 305/2014 दिनांक 26/07/14, परिपत्र संख्या संख्या 28493-29193/देखरेख शाखा/मु०/तीस हजारी/144 व 305/2014 दिनांक 16/09/14, परिपत्र संख्या संख्या 32908-33608/देखरेख शाखा/मु०/तीस हजारी/144 व 305/2014 दिनांक 05/11/14 तथा परिपत्र संख्या संख्या 1777-2477/देखरेख शाखा/मु०/तीस हजारी/144 व 305/2014 दिनांक 16/01/15 के क्रम में सूचित किया जाता है कि जिन चपरासियों/अर्दलियों/सफाई कर्मचारियों/चौकीदारों/प्रोसेस सर्वरों/ बैलिफों/फराशों ने अभी तक अपनी ग्रीष्मकालीन वर्दी [कमीज व पैंट का कपड़ा व एक जोड़ी चप्पल (पुरुषों की वर्दी) तथा सूट व सलवार का कपड़ा, चुन्नी व एक जोड़ी चप्पल (महिलाओं की वर्दी)] प्राप्त नहीं की है वे अपनी वर्दी दिनांक 16/05/2015 से 26/05/2015 की अवधि के दौरान कमरा संख्या 144/305, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली से प्राप्त करें। यदि कोई कर्मचारी इस अवधि में अपनी वर्दी प्राप्त नहीं करता तो इसके बाद उसके वर्दी प्राप्त करने से संबंधित किसी दावे पर गौर नहीं किया जाएगा। कार्यालय वर्दी लेना व इसको पहनना जरूरी है। वर्दी प्राप्त करने के लिए आपका अपने कार्यालय पहचान पत्र के साथ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

इसके अलावा आपको यह भी निदेश दिया जाता है कि आप वर्दी प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर वर्दी को सिलाई के खर्च की रसीद और निर्धारित प्रतिपूर्ति प्रपत्र (री-इम्बर्समेंट फार्म) पर संबंधित जानकारीयों भरकर देखरेख शाखा, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली में संबंधित कर्मचारी के पास अवश्य जमा करवाएँ।


(आदेश मिश्र)

प्रभारी देखरेख अनुभाग,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।

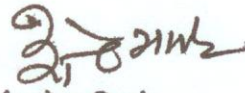
13350-14100

संख्या _____/देखरेख शाखा/मु०/तीस हजारी/144 व 305/2015

दिल्ली, दिनांक 12/5/15

उपरोक्त परिपत्र की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्त न्यायिक जिले, तीस हजारी, कड़कड़ूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत व द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी, समस्त न्यायिक जिले, तीस हजारी, कड़कड़ूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत व द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली, इस निवेदन के साथ कि अपने अधीन कार्यरत सम्बन्धित कर्मचारी/कर्मचारियों को इस परिपत्र के बारे में अवश्य सूचित करें।
3. माननीय प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, समस्त न्यायिक जिले, तीस हजारी, कड़कड़ूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत व द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. वेबसाइट समिति, अँग्रेजी/हिन्दी, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।


(आदेश मिश्र)

प्रभारी देखरेख अनुभाग,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।